

राजस्थान सरकार
सहकारिता विभाग

क्रमांक: प.4(5)सह/1991/पार्ट

जयपुर, दिनांक: 11.11.2024

अधिसूचना

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 (1958 के अधिनियम संख्या-28) की धारा-3 की उप धारा (2) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से अधिसूचना क्रमांक प. 4(5) सह/1991 दिनांक 03.05.2012 और प. 4(5) सह/1991/पार्ट दिनांक 29.05.2017, 22.10.2020 एवं 0.2.06.2021 में दिये गये परन्तुक के बिन्दु संख्या 1 से 7 के बिन्दु सं. 7 के पश्चात बिन्दु संख्या 8 निम्नानुसार प्रविष्ट करती है:-

8- ग्राम्य सुरक्षा एवं वन प्रबंध समितियों/पारिस्थितिकीय विकास समितियों का पंजीयन शुल्क रु. 500/-

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दिनेश कुमार जांगिड़)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर।
8. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि इसे असाधारण राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित करावें।
9. गार्ड पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Dinesh Kumar Jangid

Designation: Joint Secretary

Date: 2024.11.11 11:51:48 IST

Reason: Approved

